संपादकीय

दागियों पर शिकंजा

दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन ऐसा जरूरी कदम था जो काफी समय पहले ही उठाया जाना चाहिए था। ऐसे आरोपों का सामना कर रहे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों में सुनवाई तेजी से हो, इसके लिए पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को विशेष अदालतें बनाने को कहा था। अब दिल्ली में ऐसी दो विशेष अदालतें बन चुकी हैं और इनमें एक मार्च से काम शुरू हो जाएगा। ऐसी कुल बारह विशेष अदालतें बनाई जानी हैं जो दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बरसों से लंबित पड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। ये विशेष अदालतें फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर काम करेंगी। इनमें मुकदमे का निपटारा एक साल के भीतर करना होगा। विशेष अदालतों के गठन का यह फैसला सरकार को भले ही सर्वोच्च अदालत के दबाव में लेना पड़ा हो, लेकिन यह इस लिहाज से बहुत महत्त्वपूर्ण है कि आपराधिक मामलों में लिप्त जो सांसद-विधायक अब तक सिर्फ सुनवाई में देरी का फायदा उठाते आ रहे थे, वे अब नहीं बच पाएंगे।

दागी जनप्रतिनिधियों का मुद्दा हमेशा से उठता रहा है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत को हलफनामा देकर बताया था कि एक हजार पांच सौ इक्यासी सांसदों और विधायकों पर करीब साढ़े तेरह हजार आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें इक्यावन सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले चल रहे हैं। जहां तक राज्यों का सवाल है, दागी जनप्रतिनिधियों के मामले में झारखंड पहले स्थान पर है, जहां बावन विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे स्थान पर बिहार है जहां अट्ठावन फीसद विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। सवाल है कि अगर विधायिका में इतनी बड़ी तादाद में जनप्रतिनिधि गंभीर अपराधों से जुड़े मुकदमों का सामना कर रहे हों तो वे किस तरह के कानून या दूसरी नीतियां बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे? हर राजनीतिक दल चुनाव से पहले आपराधिक छवि वालों को टिकट नहीं देने के वादे करता है। लेकिन हकीकत यह है कि टिकट देते वक्त सारे दल इस सच्चाई को जानबूझ कर नजरअंदाज कर देते हैं कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। दरअसल, उनका एकमात्र मकसद चुनाव जीतना होता है। सारे दल और नेता इस अब तक इसी का लाभ उठाते रहे हैं कि अदालत से दोषसिद्धि होने तक कोई दोषी नहीं माना जाता। यही वह कारण है कि लंबे समय तक मुकदमे चलते रहने पर भी दागी नेताओं के लिए चुनाव लड़ने और सत्ता में बने रहने का रास्ता खुला रहता है। चुनावी राजनीति में अपराधियों का प्रवेश न हो पाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि दोषी ठहराए गए सांसद या विधायक पर चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर उलट रुख अख्तियार किया और कहा कि वह दोषी जनप्रतिनिधि के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। जाहिर है, सरकार भी नहीं चाहती कि दोषी नेताओं के खिलाफ ज्यादा सख्त कदम उठाया जाए। यह रुख साबित करता है कि सरकार कहीं न कहीं किसी अपराध के आरोपी नेताओं को संरक्षण देने की मंशा रखती है। अगर विशेष अदालतों में दागी नेताओं के मुकदमों का फैसला जल्दी होने लगे और दोषी पाए जाने की सूरत में इन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सके तो राजनीति को स्वच्छ बना पाना कोई मुश्किल काम नहीं है!

अजन्मी बेटियों के बगैर

देश में विषम लिंगानुपात की समस्या और इस पर चर्चा, दोनों ही पुरानी हैं, मगर वर्तमान समय में जब शिक्षित हो रहे भारतीय समाज में लड़का-लड़की के बीच भेदभाव नहीं करने को लेकर सरकार से समाज तक की तरफ से प्रयास हो रहे हैं और माना जा रहा था कि स्थिति सुधर रही है, ऐसे समय में लिंगानुपात से संबंधित नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट हमें पुनः सोचने पर विवश करती है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसी पहलों के द्वारा बेटियों को एक गरिमामय जीवन देने की कोशिशों में जुटी केंद्र सरकार के लिए भी नीति आयोग की रिपोर्ट आईने की तरह है। 'हेल्दी स्टेटस ऐंड प्रोग्रेसिव इंडिया' नामक अपनी इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने देश के इक्कीस राज्यों की लिंगानुपात संबंधी स्थिति स्पष्ट की है। इक्कीस बड़े राज्यों में से सत्रह राज्यों में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। गुजरात इसमें शीर्ष पर है, जहां जन्म के समय लिंगानुपात में 53 अंकों की भारी गिरावट सामने आई है। इसके बाद क्रमशः हरियाणा में 35, राजस्थान में 32, उत्तराखंड में 27, महाराष्ट्र में 18, हिमाचल में 14, छत्तीसगढ़ में 12 और कर्नाटक में 11 अंकों की गिरावट का आंकड़ा नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। संतोषजनक बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लिंगानुपात की स्थिति में सुधार आया है। लेकिन शेष राज्यों में विषम लिंगानुपात की स्थिति आधुनिकता और प्रगतिशीलता का दम भरने वाले भारतीय समाज के समक्ष यह गंभीर प्रश्न खड़ा करती है कि क्या आधुनिक होने का समस्त प्रदर्शन सिर्फ भौतिक धरातल पर ही है?

क्या लोग मानसिक तौर पर अब भी लड़का-लड़की में भेदभाव की मध्यकालीन सोच से ही ग्रसित हैं? नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केवल समस्या पर बात नहीं की है, समाधान बताने का भी प्रयास किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भ्रूण के लिंग परीक्षण और चयन संबंधी कानून को सख्ती से लागू किए जाने की बात कही है। समझ सकते हैं कि नीति आयोग ने कानून को सख्ती से लागू करने की बात कह कर समाधान बताने की सिर्फ औपचारिकता पूरी की है क्योंकि चाहे जितनी सख्ती बरती जाए, यह समस्या केवल कानून से समाप्त नहीं हो सकती। दरअसल, प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण लोगों के जीवन से जुड़ी ऐसी स्थिति है कि उस तक कानून की पहुंच और कानून के दखल को व्यावहारिक बना पाना बहुत सारे मामलों में बहुत मुश्किल होता है। भ्रूण के लिंग परीक्षण के बहुत ही कम मामले संज्ञान में आ पाते हैं। प्रायः पति-पत्नी की परस्पर सहमति से ये परीक्षण इतने गुपचुप ढंग से करवाए जाते हैं कि पड़ोसियों तक को भनक नहीं लग पाती है, कई बार परिवार के अन्य सदस्य भी नहीं जान पाते हैं। ऐसा करने वाले डॉक्टरों का भी अभाव नहीं है। गली-गली में क्लीनिक खोल कर बैठे ऐसे बहुत-से डॉक्टर मिल जाएंगे, जिन्हें ये परीक्षण करने में कोई हिचक नहीं होती। ऐसी स्थिति में कानून के लिए इस समस्या पर काबू पर पाना कितना कठिन है, यह आसानी से समझ सकते हैं।

इस संदर्भ में अगर संबंधित कानून पर भी एक दृष्टि डाल लें तो भ्रूण के लिंग की जांच और कन्याभ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए 1994 में 'गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम' नामक कानून बनाया गया, जिसके तहत प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को अपराध की श्रेणी में रखते हुए सजा का प्रावधान भी किया गया। इस कानून के तहत लिंग परीक्षण व गर्भपात आदि में सहयोग करने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा ऐसा करने पर तीन से पांच साल तक कारावास व अधिकतम एक लाख रुपए जुर्माने की सजा का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन यह कानून लागू होने के तकरीबन बीस वर्ष बाद भी, भ्रूण परीक्षण व कन्याभ्रूण हत्या पर कोई विशेष अंकुश लग पाया हो, ऐसा नहीं कह सकते। आंकड़ों पर गौर करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में छह साल तक की आबादी में प्रति 1000 बच्चों पर महज 914 बच्चियां पाई गईं। छह साल तक के बच्चों में यह लैंगिक असमानता कहीं न कहीं दिखाती है कि देश में कन्याभ्रूण हत्या का सिलसिला जारी है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के आंकड़े भी इसी की पुष्टि करते हैं। अब यह जाहिर हो चुका है कि केवल कानून के बल पर इस समस्या से कारगर ढंग से नहीं निपटा जा सकता। ऐसे में प्रश्न उठता है कि इस समस्या का और क्या समाधान हो सकता है?

अगर विचार करें तो भ्रूण परीक्षण और कन्याभ्रूण हत्या के इस सिलसिले के मूल में हमारी तमाम सामाजिक रूढ़ियां मौजूद हैं। आज के इस आधुनिक व प्रगतिशील दौर में लड़कियां न केवल लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल रही हैं, बल्कि कई मायनों में लड़कों से आगे भी हैं। इसमें संदेह नहीं कि लड़कियों के इस उत्थान से समाज में उनके प्रति व्याप्त सोच में काफी बदलाव भी आया है। लेकिन बावजूद इस सब के, आज भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके प्रति अपनी सोच को पूरी तरह से बदल नहीं पाया है। यह सही है कि इसमें अधिकांश ग्रामीण व अशिक्षित लोग ही हैं, लेकिन शहरी व शिक्षित लोग भी इससे एकदम अछूते नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो कम से कम दहेज जैसी प्रथा की चपेट में तो भारतीय समाज के शिक्षित-अशिक्षित, सब बराबर हैं। भ्रूण परीक्षण व कन्याभ्रूण हत्या के पीछे यह रूढ़िवादी प्रथा एक बहुत बड़ी वजह है।

इसी प्रकार और भी तमाम ऐसी सामाजिक प्रथाएं, कायदे और बंदिशें हैं जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई को उपजाने और उसे बनाए रखने में खाद-पानी का काम कर रही हैं। इन बातों को देखते हुए कह सकते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या आपराधिक प्रवृत्ति से अधिक कुछ सामाजिक कुप्रथाओं की निरंतरता और उनके प्रश्रय से उत्पन्न हुई बुराई है। अतः यह स्पष्ट है कि इसका समाधान भी सिर्फ कानून के जरिए नहीं किया जा सकता। इस बुराई के समूल खात्मे के लिए आवश्यक है कि इसको लेकर सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाने का प्रयास किया जाए। केंद्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इस संबंध में शहर से गांव तक, सब जगह जागरूकता कार्यक्रम चलाएं जिनके जरिए लोगों को यह समझाने का प्रयास किया जाए कि दुनिया में आने से पहले ही एक जान को नष्ट करके वे न सिर्फ अपराध कर रहे हैं, बल्कि एक बड़े सामाजिक असंतुलन को न्योता देकर देश के भविष्य को भी संकट में डाल रहे हैं। उन्हें लड़का-लड़की में कोई अंतर नहीं जैसी बातों से भी अवगत कराना चाहिए।

इन सबके अलावा दहेज आदि सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में भी कानूनी स्तर से लेकर जागरूकता लाने के स्तर तक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से कुछ प्रयास हो भी रहे हैं, मगर उन्हें और गति देने की आवश्यकता है ताकि उनका कुछ असर भी दिखाई दे, क्योंकि नीति आयोग की उपर्युक्तरिपोर्ट उन प्रयासों का नाकाफी होना जाहिर कर चुकी है। अगर सरकार और समाज, दोनों अपने दायित्वों को समझ लें तो निश्चित ही देश की बेटियों को न सिर्फ बचाया जा सकता है, बल्कि उन्हें गरिमापूर्ण व स्वतंत्र जीवन भी दिया जा सकता है।

राजका- दुराग्रहों का द्वंद्व

कनाडा के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ दिल्ली में नमस्ते की मुद्रा में तस्वीरें खिंचवा रहे थे। विश्वस्तरीय सुविधा का दावा करने वाली मेट्रो रुक-रुक कर चल रही थी। दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी की भयानक किल्लत है। त्रिलोकपुरी के दंगे की चपेट में आने की आशंका है। उसी वक्त देश की राजधानी दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के बीच मारपीट की तस्वीर सामने आती है। मुख्य सचिव आरोप लगाते हैं कि आधी रात को उन्हें बुलाया जाता है और आम आदमी पार्टी के विधायक उनके साथ मारपीट करते हैं।

इस घटना में दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं। लेकिन एक तथ्य सामने है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आधी रात को मुख्य सचिव को बुलाया जाता है। अब वह विज्ञापनों पर खर्च पर बातचीत के लिए बुलावा हो या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर, लेकिन उन्हें आधी रात में बुलाया गया। यह भी तथ्य है कि वहां आम आदमी पार्टी के कई विधायक पहले से मौजूद थे। खाद्य विभाग के मंत्री इमरान हुसैन उस वक्त वहां क्यों नहीं थे इसका जवाब नहीं दिया गया है, इस तर्क के बावजूद कि बैठक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर बुलाई गई थी। न तो किसी फैक्टरी में बड़ी आग लगी थी और न ही किसी अस्पताल से डेंगू या चिकनगुनिया के बड़ी संख्या में मरीजों के मरने की खबर आई (शायद इन मुद्दों पर मीडिया और अदालत की दखल के बाद ही बैठक होती है) थी।

आरोप है कि मुख्य सचिव को आधी रात में मुख्यमंत्री के घर तलब किया जाता है और कुछ ऐसा होता है कि वे दस मिनट के अंदर बाहर निकलते हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में उनके साथ मारपीट की बात कही गई है और आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार से भी पूछताछ हुई है, जिन्होंने मुख्य सचिव को बैठक में आने के लिए फोन किया था।

आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाती रही है कि उसे काम करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस बार का घटनाक्रम बता रहा है कि सरकार चलाने और लोगों से काम लेने की कला यानी प्रशासनिक कला सीखने में उनकी तरफ से भी कमियां रह गई हैं। मुख्यमंत्री आवास में जिस तरह सड़कछाप लड़ाई के आरोप लगे हैं उससे आम जनता के बीच क्या संदेश गया है?

इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक घटना के तौर पर अलग करके नहीं देखा जा सकता है। दिल्ली देश की राजधानी है और यह कोई स्वतंत्र राज्य नहीं है। लगभग नब्बे फीसद प्रशासनिक फैसलों की स्वीकृति केंद्र से लेनी होती है। पिछले कई दशकों से केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की यह टकराहट चलती आई है। केंद्र और राज्य सरकार के विरोधाभासों के कारण लंबे समय तक कई बिल लटके रहे हैं, और इस टकराहट को उसी रूप में देखा जा सकता है। कभी राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री तो कभी नौकरशाही बनाम दिल्ली सरकार। इसके पहले भी दिल्ली के प्रशासक इससे जूझते हुए समन्वय बनाते रहे हैं।

भारत जैसे लोकतंत्र में सरकार का मतलब है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अभी यह विधायिका और कार्यपालिका की टकराहट है। इसमें हमें जो एक अहम चीज देखनी है, वह है विधायिका की शक्ति। आम आदमी पार्टी की विधायिका में बहुत बड़ी जीत हुई थी। इतनी बड़ी जीत से बाकियों के लिए कोई जगह ही नहीं बची।

लोकतंत्र में विपक्ष का अपना महत्त्व होता है और दिल्ली की विधायिका में विपक्ष की जगह ही नहीं थी। विधायिका में विपक्ष की जगह नहीं होने से फैसलों पर बहस या विरोध नहीं हो पाता है। जो आपने तय किया वही सही है। ऐसी विपक्षहीन विधायिका में कार्यपालिका का दखल लाजिम हो जाता है जो अपने रवैए में विपक्ष सरीखा दिखने लगता है। और, विधायिका को बहस करती या किसी मुद्दे पर विरोध करती पूरी कार्यपालिका ही विपक्ष लगने लगती है।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से जो लोकलुभावन वादे किए थे, उन्हें पूरा करने में कोसों दूर है। बिना कार्यपालिका के समर्थन के वह जनता से जुड़े काम कर भी नहीं सकती है। अब 'आप' को अपनी सभा-रैलियों में जनता का पहले जैसा समर्थन मिलता भी नहीं दिखता है। जनता की उम्मीदें पूरी नहीं होने की बदहवासी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं में दिख रही है। आलम यह है कि न्यायपालिका तक को दखल देना पड़ा और उसके बाद भी हालात काबू में नहीं आए।

आम आदमी पार्टी अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र और कार्यपालिका पर फोड़ना चाहती है। पर यह सच है कि उसने कार्यपालिका से तालमेल बिठाने की ईमानदार कोशिश की ही नहीं है। वह सचेत रूप से टकराव पैदा करती है और उस टकराव को जनता के सामने लाने की कोशिश करती है। कार्यपालिका को विश्वास में लेने के बजाए 'आप' की पूरी कोशिश उसे खलनायिका बनाने की रही है। इसका असर यह हुआ है कि पूरी कार्यपालिका 'आप' के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है।

आम जनता के प्रति आम आदमी पार्टी की नीयत जितनी भी ज्यादा साफ हो लेकिन उसे यह भी सीखना होगा कि जनता को अपनी नीतियों का फायदा कैसे पहुंचाया जाए। संघर्ष और टकराव का अंतिम खमियाजा आम जनता को ही भुगतना होता है। विपक्षहीन सत्ता का वह अहंकार 'आप' में भी दिख रहा है जिसका वह केंद्र पर आरोप लगाती है। यह भी सही है कि केंद्र और दिल्ली की सरकार एक-दूसरे की विरोधी है। ऐसी हालत में तो उसे खुद ही टकराव के रास्ते से बचना चाहिए और उस जनता के बारे में सोचना चाहिए जिसने उसे वोट दिया था। सड़क पर आंदोलन चलाना और केंद्रशासित प्रदेश की सरकार चलाना दोनों अलग-अलग चीजें हैं।

नौकरशाही को लेकर 'आप' के अतिरेक और बदहवासी के साथ उन नौकरशाहों पर भी सवाल उठ रहे हैं जो अपने स्वाभिमान की लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं से लड़ते हैं। चंडीगढ़ की सड़क पर एक आइएएस की बेटी के साथ सरेआम छेड़खानी होती है लेकिन उस अफसर बाप के समर्थन में इस तरह का कोई संगठन खड़ा नहीं होता है। अशोक खेमका जैसे ईमानदार अफसर का तबादला किसी दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकार्ड में जगह पा सकता है लेकिन उनके लिए कभी मोमबत्ती जुलूस नहीं निकला और न ही किन्हीं दुर्गा शक्ति नागपाल की गरिमा की रक्षा के लिए कामबंदी का एलान किया गया।

बिहार में एक जिलाधिकारी की जब पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी तो समाज और राजनीति का हर तबका उबला था लेकिन नौकरशाहों का कोई संगठित प्रतिरोध सामने नहीं आया था। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही नौकरशाह जिस तरह विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं वह भी उनके दुराग्रही होने का संकेत दे रहा है। आम आदमी पार्टी से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस जितनी सक्रियता और पुख्ता तरीके से काम करती है वह अन्य मामलों में भी हो तो यह दुनिया की सबसे भरोसेमंद पुलिस होगी। फिलहाल तो 'आप' और नौकरशाही के बीच दुराग्रहों का यह दौर जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है।

भ्रष्ट नौकरशाही पर नकेल का फॉर्मूला

पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले से स्पष्ट हो गया कि सरकारी तंत्र के निचले हिस्से में भ्रष्टाचार पहले की तरह फल-फूल रहा है। जानकार बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऊंचे स्तर पर तमाम ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त किया है। वित्त सचिव और पीएनबी के प्रबंध निदेशक भी ईमानदार ही होंगे, लेकिन क्या उनके नीचे के लोग भी वैसे ही हैं? एक वृत्तांत वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है। किसी अधिकारी की नौकरी छूट गई तो उसने नौकर से कहा कि आज से बगैर घी लगी रोटी खाएंगे। उन्होंने रूखी रोटी खाना शुरू किया, फिर भी मर्तबान से घी कम होता गया। नौकर से पूछा तो उसने जवाब दिया, %सर, नौकरी आपकी छूटी है, मेरी नहीं। मैं तो घी खा ही रहा हूं। लगता है उच्च अधिकारियों ने तो घूस लेना कम कर दिया है, परंतु निचले स्तर पर यह बुराई यथावत कायम है। जरूरत नौकरशाही के स्वरूप में परिवर्तन लाने की है। इस दिशा में पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था। आयोग ने अपनी रपट में मुख्यतः छिछली एवं मीठी बातें कही हैं, जैसे हर विभाग में शिकायत पेटिका रखी जानी चाहिए। उसने यह जरूर कहा कि सरकारी कामकाज पर समाज की नजर रहनी चाहिए, लेकिन यह नजर कैसे रखी जाए, इस पर आयोग मौन रहा था। इसकी तुलना में पांचवें वेतन आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि %प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का हर पांच वर्ष पर बाहरी मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। यह सुझाव सही दिशा में था, परंतु इससे भी आगे जाने की जरूरत है।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है, मंत्रियों, पुजारियों, सेनाध्यक्षों, द्वारपालों, हरम के प्रबंधकों, न्यायाधीशों, राजस्व अधिकारियों, सिपाहियों इत्यादि पर नजर रखने के लिए राजा को जासूस नियुक्त करने चाहिए। इन अधिकारियों के व्यक्तिगत जीवन पर भी जासूसों की नजर रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है, %गृहस्थों को नियुक्त करना चाहिए कि वे नागरिकों की संख्या, उत्पादन का स्तर तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा वसूल किए गए राजस्व का स्वतंत्र आकलन करें। इसी पुस्तक में लिखा गया है, %छद्म उपभोक्ताओं को भेजकर अधिकारियों की जांच करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को भी कौटिल्य के इन उपायों का अनुपालन करना चाहिए। सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी द्वारा कदम तब उठाए जाते हैं, जब शिकायतकर्ता हस्ताक्षर करके रपट दर्ज करे। यदि आप भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं और डर के मारे गुमनाम पत्र लिखते हैं तो ये संस्थाएं शिकायत का संज्ञान मुश्किल से ही लेती हैं। ये भी टालमटोल करती हैं। एक मामले में मैंने दो बार सीवीसी से शिकायत की तो उन्होंने आरोपी से जवाब लेकर मामला ही बंद कर दिया। मुझे न तो आरोपी द्वारा दिए गए उत्तर को बताया और न ही मुझे उनके द्वारा दिए गए उत्तर का प्रतिवाद करने का अवसर दिया। ये संस्थाएं संगमरमर के किले में बैठी हैं। इनका आचरण कौटिल्य के फॉर्मूले के ठीक विपरीत है। कौटिल्य कहते हैं कि जासूसों को छद्म उपभोक्ता बनकर अधिकारियों को परखना चाहिए। इसकी तुलना में ये संस्थाएं शिकायत प्राप्त करने पर भी ढीली रहती हैं। इनका आचरण चोर-चोर मौसेरे भाई जैसा है। यही कारण है कि सीबीआई की कार्रवाई में मात्र तीन प्रतिशत मामलों में सजा हो पाती है।

रणोत्सव व पुष्कर मेले को टक्कर दे सकता है हमारा भगोरिया

क्या भगोरिया की पहचान-प्रसिद्धि के मौजूदा स्तर से संतुष्ट हुआ जा सकता है? क्या वास्तव में सरकारी प्रयासों ने भगोरिया के भाग्य को बनाने-संवारने की ईमानदार कोशिश की है? क्योंकि, इन दो सवालों के जवाब ही यह तय कर देंगे कि कैसे किसी खूबी को खामियों के खाते में दर्ज किया जा सकता है! प्रदेश के झाबुआ-आलीराजपुर जिले इन दिनों भगोरिया के उल्लास में डूबे हैं। एक ऐसा उत्सव जिसमें जीवन का हर रंग है, धर्म-संस्कृति है, पर्व-परंपरा है, राग-रंग हैं, गीत-संगीत है, मौज-मस्ती है, एक रंग की वेशभूषा है, क्विंटलों चांदी के आभूषण हैं, पांवों में घुंघरू हैं और हाथों में रंगीन रुमाल लेकर मांदल-ढोल पर नाच भी है! दरअसल, झाबुआ के गजेटियर में लिखे लोक संस्कृति के इस उत्सव का इतिहास 135 साल पुराना है! यहां की जमीन-जरूरत में बसे आदिवासियों की तरह यह उत्सव भी %ऐबोरिजिनल है! इस शब्द (ऐबोरिजिनल) का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है, जिनका उस भू-भाग से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो या वे ही उस जगह के असली हकदार हैं! लेकिन, भाजपाकांग्रेस की सरकारें, पर्यटन जैसे विभाग, प्रशासनिक नुमाइंदे, कला-संस्कृतिकर्मी, स्वयंसेवी व सामाजिक संगठन मिलकर भी भगोरिया को वह स्थान नहीं दिला पाए जिसका वह हकदार है!

कौन दोषी हैं, कौन हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फिर किसी विभाग को जिम्मेदारी देते हैं, फिर एक नई योजना बनाते हैं - इस तरह के सरकारी संबोधन की लंबी और समृद्ध परंपरा हम सभी बखूबी देखते-समझते आए हैं! फिर भी, हम सीखने की कोशिश करें तो दो उदाहरण सहयोग कर सकते हैं। पहला - रणोत्सव। गुजरात के इस गौरव ने 13 साल में ही बड़ा आकार ले लिया। कच्छ का रन 23,300 वर्ग किमी में फैला समुद्र का नमकीन दलदल है। वर्ष 2005 से पहले तक पर्यटन के नक्शे पर इसकी कोई खास पहचान नहीं थी।

गुजरात पर्यटन विभाग ने इस वीरान मरुस्थल की खूबसूरती, यहां के सूर्योदय-सूर्यास्त की विश्वस्तरीय मार्केटिंग शुरू की और नाम दिया रणोत्सव! साल 2005 से 2010 के बीच यह सिर्फ पांच दिन का ही होता था। देशी से ज्यादा विदेशी पर्यटकों के हुजूम के चलते अब इसे 112 दिन तक आयोजित किया जाता है। यही नहीं, पर्यटकों की सुविधा के लिए अगले पांच साल का कैलेंडर और पैकेज टूर भी अभी से तैयार है! पर्यटन प्रबंधक के. विश्वास बताते हैं - 2005 में कुछ हजार लोग आए थे इसलिए कम ही टेंट लगाए जाते थे। पिछले साल यहां 2.23 लाख पर्यटक पहुंचे और पांच सितारा होटल जैसी सुविधा वाले लगभग 350 टेंट लगाने पड़े। उत्सव के दौरान आकर्षण के तौर पर गुजरात के रहन-सहन, गीत-संगीत, कला-परंपराओं को पर्यटकों के बीच प्रस्तुत किया जाता है। इस साल से बॉर्डर टूरिज्म के तहत पर्यटक बनासकांठा जिले के सूई गांव तक जाएंगे, यहां भारत-पाक की सीमा पर दोनों देशों के जवान रीट्रिट करते हैं।

समझने का दूसरा सबक है राजस्थान का पुष्कर मेला। आठ दिन के इस पशु मेले में हजारों देशी-विदेशी पर्यटकों को खींच लाना एक केस स्टडी है! सबसे बड़ी मूंछें, घोड़ी नाच, दुल्हन श्रृंगार जैसी प्रतियोगिता, देशीविदेशी पर्यटकों के बीच रोचक खेल के मुकाबले, हस्तशिल्प की बेजोड़ कारीगरी से सजे हाट, ग्रामीण परिवेश से जुड़े नाच-गाने, जादू, झूले। परंपरागत तरीके से तैयार ऊंट गाड़ी से लेकर मेला दर्शन के साथ हॉट एयर बैलून से भी राजस्थानी संस्कृति का हवाई दर्शन। अजमेर पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर संजय जौहरी बताते हैं- यह महसूस किया गया कि सिर्फ सरकारी मदद के जरिए इसे आयोजित नहीं कर सकते। इसलिए, तीन साल से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी साथ ले लिया।

संपादक-चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक-मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल-201, 202, 208 नंदन कोम्प्लेक्ष, मीठाखली, अहमदाबाद-6. मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, बी-4, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया। फोन-26568477, 26409779. E : alpaviram1@yahoo.com

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से महाप्रबंधक, भारी पानी संयंत्र (बड़ौदा) निम्नलिखित कार्य के लिए दो बोली प्रणाली द्वारा ऑनलाइन मद दर निविदा आमंत्रित करते हैं :-

निविदा संख्या : HWP/(B)/Purification/2017/01
कार्य का नाम : **भापासं (बड़ौदा) में बेंच स्केल सोडियम शुद्धीकरण इकाई के विनिर्माण, आपूर्ति एवं पात्र निर्माण, फिल्टर, पाइपिंग, विद्युत हीटर एवं उपकरण का स्थापन तथा जांच और कमीशनिंग।**
अनुमानित लागत : **₹ 1,17,00,000/- (जीएसटी सहित)**
ईएमडी : ₹ 2,34,000/-
कार्य पूरा करने की अवधि : 04 माह

ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की समय सीमाः दिनांक 07.04.2018 (23.00 बजे)। निविदा दस्तावेज एवं अन्य विवरण वेबसाईट **www.tenderwizard.com/DAE.** से प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा सूचना वेबसाइट **www.hwb.gov.in** पर भी उपलब्ध है।